



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
 (यांत्रिकी विभाग)
सीमित निविदा आमंत्रण

क्रमांक / यांत्रिकी / 2022-23 / 180

दिनांक: - 29/08/2022

प्रति,

.....

कार्य का नाम:- विक्रम विश्वविद्यालय के अकादमिक परिसर स्थित विद्यार्थी विराम भवन में केंटीन संचालन बाबत्।

कृपया विक्रम विश्वविद्यालय के अकादमिक परिसर में स्थित विद्यार्थी विराम भवन में केंटीन संचालन हेतु मासिक किराया राशी हेतु सीमित निविदा दिनांक 6/09/22 समय 5.00 बजे तक स्पीड पोस्ट डाक द्वारा कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, यांत्रिकी विभाग, उज्जैन के पते पर भेजने का कष्ट करें। उक्त प्रस्ताव के साथ निम्नानंकित प्र-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें-

1. धरोहर राशी रु. 10000/- (दस हजार रु.) का मूल एफडीआर/डीडी. कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के नाम
2. निविदा प्र-पत्र रु. 1000/- (एक हजार रु.) यूको बैंक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में जमा कर रसीद की प्रति जमा कर यांत्रिकी विभाग से निविदा पत्र प्राप्त कर सकते हैं, अथवा विक्रम विश्वविद्यालय की साईड से निविदा पत्र डाउनलोड किया होतो रु. 1000/- की मूल एफडीआर./डीडी. कुलसचिव विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के नाम देय हो।
3. अनुभव प्रमाण पत्र
4. गुमाश्ता लायसेंस
5. जीएसटी. न.
6. पेन न.

साथ ही लिफाफे के ऊपर विद्यार्थी विराम भवन में केंटीन संचालन हेतु निविदा का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है। उपरोक्त कार्य की दर में समस्त करों को सम्मिलित माना जावेगा, तथा FOR विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन होगा। इसके अतिरिक्त निविदा संबंधि जानकारी यांत्रिकी विभाग से प्राप्त की जा सकती हैं।


 कुलसचिव

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन


विक्रम विश्वविद्यालय के अकादमिक परिसर में स्थित विद्यार्थी विराम भवन में कैंटीन संचालन हेतु निविदा की शर्तेः—

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के अकादमिक परिसर में स्थित विद्यार्थी विराम भवन में कैंटीन संचालन करने हेतु अनुभवी एवं सक्षम निविदाकार व्यक्तियों/फर्म/संस्थानों से निम्नांकित शर्तों के अधीन सील बंद लिफाफो में निविदा आमंत्रित की जाती हैं—

1. निविदा प्रपत्र विक्रम विश्वविद्यालय की वेब साईट www.Vikramuniv.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. निविदा प्रपत्र दिनांक ६.०९/२२ तक कुलसचिव, यांत्रिकी विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के कार्यालय में स्पीड पोस्ट डाक/व्यक्तिगत रूप से पहुँच जाना चाहिये। डाक व्यवस्था में विलम्ब के लिये विश्वविद्यालय प्रतिभुत एवं उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदाएँ मान्य नहीं।
3. निविदाकार को कैंटीन संचालन का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिये। निविदाकार इस शर्त के अनुसार प्रमाण—पत्र लिफाफा ‘A’ में रखें।
4. निविदाकार अपने गुमाझता लायसेंस की छायाप्रति लिफाफा ‘A’ में अनिवार्यतः रखें।
5. निविदाकार लिफाफा ‘A’ में निविदा हेतु अर्नेस्ट मनी रु. 10000/- (दस हजार रु.) का बैंक ड्राफ्ट अथवा स्थायी जमा रसीद, जो कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के पक्ष में देय हो, लिफाफा ‘A’ में अनिवार्यतः रखें।
6. निविदाकार निविदा दर प्रपत्र 1 एवं 2 (वित्तीय बिड) लिफाफा ‘B’ में रखकर सील बंद करे।
 - (a) निविदा दर प्रपत्र-1 निविदाकार को कैंटीन भवन के मासिक किराये की दर अंकित करना है।
 - (b) निविदा दर प्रपत्र-2 में कैंटीन में प्रदाय की जाने वाली खाद्य सामग्री/पेय पदार्थों की दरे निविदाकार को प्रस्तावित करनी हैं।
 - (c) निविदा की स्वीकृति निविदा दर प्रपत्र में अधिकतम किराया दर एवं निविदा दर प्रपत्र-2 में न्यूनतम सामग्री प्रदाय दरों के आधार पर की जाएंगी।
 - (d) उपरोक्त के संबंध में निगोशिएशन करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
7. किसी भी प्रकार की सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
8. निविदाकर्ता को कैंटीन का संचालन प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक करना होगा।
9. निविदाकर्ता को कैंटीन संचालन हेतु टेबल, कुर्सी, इले. फिटींग, सेनेटरी फिटींग, जल प्रदाय व्यवस्था आदि सामग्री की व्यवस्था स्वयं के व्यय से करना होगी।
10. कैंटीन संचालक को किचन से संबंधित सभी बर्तन, क्राकरी, कटलरी, रा-मटेरियल, फीज आदि की व्यवस्था स्वयं के व्यय से करना होगी।
11. कैंटीन सुरक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
12. संचालक को कैंटीन एवं परिसर की साफ—सफाई की व्यवस्था उज्जैन नगर निगम के स्वास्थ विभाग के अनुसार करना होगा, उक्त के उल्लंघन की दशा में कैंटीन संचालक स्वयं दोषी होगा।
13. कैंटीन में बाल श्रमिकों की नियुक्ति प्रतिबंधित होगी। निविदाकार को श्रम कानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. कैंटीन संचालक कैंटीन संचालन के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना, हानि, क्षति या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
15. कैंटीन संचालक के द्वारा कैंटीन का समस्त कचरा डिस्पोजेबलस् प्रतिदिन विश्वविद्यालय परीसर के बाहर नगर निगम की कचरा पेटियों में स्वयं के व्यय से फिकवाना होगा।
16. विश्वविद्यालय कैंटीन का व्यवसायिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

17. केंटीन संचालक द्वारा केंटीन में प्रदाय की जाने वाली सामग्री की दरे बाजार दर से अधिक नहीं होनी चाहिये, साथ ही उक्त सामग्री गुणवत्ता युक्त तारी-एवं सही मात्रा में प्रदाय करना होगी।
18. केंटीन संचालक को अपनीरोधी यंत्र की व्यवस्था स्वयं के व्यय से करना होगी।
19. सफल निविदाकार को 1000/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से अनुबंध करना होगा।
20. अनुबंध ग्रहिता केंटीन संचालक एवं उसके द्वारा नियोजित कर्मचारीयों को विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, अधिकारीयों एवं अतिथियों के साथ व्यवहार विनम्र एवं सम्मान जनक रखना होगा। व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
21. केंटीन भवन में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। बाहरी लोगों/तत्का के प्रवेश के कारण यदि कोई विवाद होता है, तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी अनुबंधग्रहिता केंटीन संचालक की होगी।
22. अनुबंध ग्रहिता केंटीन संचालक को केंटीन संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित विद्यार्थी विराम भवन में अपने व्यय से बिजली कनेक्शन लेना होगा एवं बिजली बिल भुगतान का उत्तरदायित्व भी अनुबंध ग्रहिता केंटीन संचालक का होगा।
23. अनुबंध अवधि समाप्त होने अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंध निरस्त करने की दशा में अनुबंधग्रहिता केंटीन संचालक को विश्वविद्यालय द्वारा केंटीन संचालन हेतु दिया गया विद्यार्थी विराम भवन एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से खाली/रिक्त करना होगा।
24. विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर केंटीन का निरीक्षण किया जावेगा। निविदा शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि निविदाकार के साथ किया गया अनुबंध तत्काल समाप्त कर दे, इसमें अनुबंधग्रहिता निविदाकार को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।
25. खाद्य विभाग/स्वास्थ विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन केंटीन संचालक को कढाई से करना होगा। उसके उल्लंघन पर केंटीन संचालक दोषी होगा।
26. केंटीन संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की शर्तों का उल्लंघन करने पर निविदा निरस्त कर धरोहर राशी राजसात कर ली जावेगी।
27. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को होगा।
28. किसी वाद-विवाद की स्थिती में कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों के लिए मान्य होगा।
29. वाद क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय जिला उज्जैन का होगा।

हस्ताक्षर
आधिकृत निविदाकर्ता



कुलसचिव
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
 (यांत्रिकी विभाग)
सीमित निविदा आमंत्रण

कार्य का नाम:- विक्रम विश्वविद्यालय के अकादमिक परिसर स्थित विद्यार्थी विराम भवन में केंटीन संचालन बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत निम्नानुसार दर अंकित करें-

सरल क्र.	कार्य का नाम	प्रस्तावित मासिक किराये की राशि (अको में)	प्रस्तावित मासिक किराये की राशि (शब्दों में)
1	विश्वविद्यालय के अकादमिक परिसर स्थित विद्यार्थी विराम भवन में केंटीन संचालन कार्य		

निविदाकर्ता का पूरा नाम :-
 निविदाकर्ता का पता :-
 निविदाकर्ता का मो. न. :-

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नोट:- प्रत्येक लिफाफे पर निविदाकार अपना नाम, पता, फर्म/संस्थान की सील, फोन या मोबाइल न. अंकित करें।

निविदा भरने की प्रक्रिया:-

लिफाफा -A : इस लिफाफे में निम्नानुसार प्रपत्र/दस्तावेज/प्रमाण पत्र रखे-

1. निविदा प्रपत्र के मूल्य रु. 1000/- की केश जमा रसीद की प्रति अथवा यदि निविदा पत्र डाउनलोड किया हो तो निविदा प्रपत्र के मुलतः रु. 1000/- को बैंक ड्राफ्ट जोकि कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के नाम देय हो।
2. धरोहर राशी रु. 10000/- का बैंक ड्राफ्ट जोकि कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के नाम देय हो।
3. निविदा अनुसार समस्त प्र-पत्रों की छायाप्रति

लिफाफा -B: इस लिफाफे में निविदा शर्त क्र.-6 (a) एवं (b) के अनुसार निविदा दर प्रपत्र-1 एवं निविदा दर प्रपत्र-2 रखकर सील बंद करे।

लिफाफा -C : इस लिफाफे में लिफाफा A एवं लिफाफा B दोनों रखकर सील बंद करे।
लिफाफा C पर "विश्वविद्यालय के अकादमिक परिसर स्थित विद्यार्थी विराम भवन में कैंटीन संचालन के लिये निविदा" बडे अक्षरों में अंकित करे।

—::घोषणा—पत्र::—

मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता निविदाकार ने आपके द्वारा प्रदत्त निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तें (शर्त क्र.-1 से 29 तक) भली-भांति पढ़ ली हैं और समझ ली हैं। मैं/हम उक्त शर्तों का पालन करने के लिए बाद्ध रहुगा/रहेगे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नामः—

पता:-

संस्थान की सीलः—